

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7872/2026
CNR: RJHC010558022026
URN: CRLMB / 17242U / 2026

Nizamuddin Alias Shahrukh Alias Kutiya S/o Moinuddin Sheikh,
Aged About 28 Years, Resident Of C-14, Bhopalpura Road,
Shastri Nagar, Police Station Bhilwara Kotwali Currently
Mohammadi Colony, Bhawani Nagar Police Station Bhimganj,
District Bhilwara.

(At Present Lodged In Sub Jail Shahpura Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anirudh Krishan Choudhary Ms. Kiran Mr. Anurag Tailor
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 61(2), 111(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मोहब्बत अली को गन दी गई, जो गन मोहब्बत अली ने सलीम उर्फ बिच्छु को उपलब्ध करवाई। मुख्य रूप से फायर करने आरोप सलीम खान उर्फ बिच्छु पर है। अन्य सहअभियुक्तगण मोईन खान उर्फ डुरी, मोहम्मद इस्माईल की दिनांक 22.04.2026 को, मोहब्बत अली, फयाज की दिनांक 25.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा जमानत ली जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उन सहअभियुक्तगण से अधिक

गंभीर नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अन्य सहअभियुक्तगण मोईन खान उर्फ डुरी, मोहम्मद इस्माईल की दिनांक 22.04.2026 को, मोहब्बत अली, फयाज की दिनांक 25.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा जमानत ली जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला इनसे अधिक गंभीर नहीं होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **नीजामुद्दीन उर्फ शाहरूख उर्फ कुतिया पुत्र मोईनुद्दीन शेख** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J